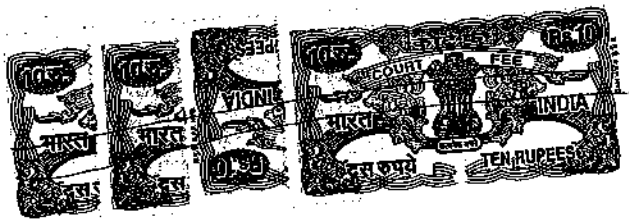

निग -825-I-16

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण कमांक- /2015-16

निगरानीकर्ता/आवेदक : जमना प्रसाद श्रीवास आ. गोवर्धन लाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, मुकाम पोस्ट- चिरई डोंगरी (रेलवे) तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.)

विरूद्ध

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 494/अ-67/13-14 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण कं. 02/अ-67/2013-14 आदेश दिनांक 25.03.2014 एवं विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मण्डला की न्यायालय के प्र. कं. 2/अ-68/12-13 म.प्र. शासन विरूद्ध जमना प्रसाद श्रीवास, में पारित आदेश दिनांक 30.09.2013 से क्षुब्ध होकर यह निगरानी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, निगरानीकर्ता बम्हनी रेत खदान कं. 3 का दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2014 तक के दो वर्ष के लिये लीजधारी था, निगरानीकर्ता उक्त स्वीकृत रेत खदान से प्रतिवर्ष 38964 घनमीटर रेत उत्खनित किये जाने हेतु अधिकृत है । निगरानीकर्ता ने उक्त रेत खदान को 39,30,303/-रू. में दो वर्षो के लिए लीज पर प्राप्त किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 825-एक/2016 जिला-मण्डला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-4-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 494/अ-67/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक को बम्हनी रेत खदान क्रमांक 3 दो वर्ष के लिए लीज में आबंटित की गयी। आवेदक द्वारा स्वीकृत रेत खदान के खसरा नम्बर 670 रकबा 2.23 है0 पर स्थित है। उक्त खदान बंजर नदी पर स्थित है। आवेदक के विरूद्ध प्रकरण जाँच दिनांक 17.04.2013 के आधार पर संस्थित किया जाकर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मद पानी के नीचे की रेत 48000 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन बताया जाकर राशि 5,08,80,000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया, जिसके विरूद्ध कलेक्टर, मण्डला के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 25.03.2014 से निरस्त की गयी। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 21.01.2016 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के	

विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक बम्हनी रेत खदान क्रमांक 3 का दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2014 तक दो वर्ष के लिए लीजधारी था। उक्त स्वीकृत रेत खदान ने प्रतिवर्ष 38964 घनमीटर रेत उत्खनित किये जाने हेतु अधिकृत था, रेत खदान को 20,65,101 रूपये प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष हेतु 41,30,202 रूपये में लीज पर प्राप्त किया था। आवेदक को स्वीकृत रेत खदान बम्हनी क्रमांक 3 के खसरा नम्बर के क्षेत्रफल 2.23 है0 पर स्थित है, स्वीकृत रेत खदान से लगी हुयी बम्हनी की रेत खदान क्रमांक 1, 2 एवं 4 एवं 5 स्थित हैं तथा बम्हनी रेत खदान की उक्त वर्णित रेत खदान 1 से 5 तक लगे हुए सिलगी रेत खदान क्रमांक 1 से 3 स्थित है। आवेदक को स्वीकृति रेत खदान एवं अन्य उक्त वर्णित रेत खदाने बंजर नदी पर स्थित है। आवेदक के विरूद्ध प्रकरण जाँच दिनांक 17.04.2013 के आधार पर संस्थित किया गया कि ग्राम सिलगी, तहसील व जिला मण्डला की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 786 के रकवा 32.12 है0 मद पानी के नीचे के बारह एकड़ क्षेत्र पर रेत का अवैध उत्खनन किये जाने के आरोप, आरोपित किये जाकर आवेदक के द्वारा 48000 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन परिवहन किया जाना पाया गया। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर सूचनापत्र जारी किया, जिसका जबाव आवेदक द्वारा दिया गया, जिसमें सुनवाई का

क्षेत्राधिकार नहीं होने की आपत्ति ली गयी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर कार्यवाही करते हुए मात्र शासकीय गवाहों की साक्ष्य अंकित करते प्रकरण में कथित पंचनामा के साक्षियों की साक्ष्य अंकित कराये बगैर ही तथा इस ओर ध्यान दिये बगैर ही विचारण न्यायालय द्वारा स्वंय की गयी जाँच के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुए प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किये गये, जबकि उक्त जाँच कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला द्वारा तहसीलदार राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा किया जाना अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वंय की गयी जाँच को आधार मानते हुए उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 30.09.2013 पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिवत एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा बताया गया कि कथित जाँच दिनांक 17.04.2013 को निगरानीकर्त्ता की स्वीकृत बम्हनी रेत खदान क्रमांक 3 चालू थी। उक्त संबंधी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति जाँच दल में शामिल रहे। तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत नहीं है। जाँच दिनांक 17.04.2013 को अवैध उत्खनन पाये जाने संबंधी कोई सीमांकन रिपोर्ट मौके पर तैयार पंचनामा, मौके नजरी नक्शा एवं माप कार्यवाही का कोई विवरण तथा दस्तावेज प्रकरण में न होने के बाद तथा जाँच दल में माईनिंग विभाग को शामिल न किया जाना भी उक्त जाँच को संदेहास्पद बनाता

है तथा विचारण न्यायालय द्वारा माईनिंग निरीक्षक की साक्ष्य अंकित करायी गयी थी, जिसमें उनके द्वारा आवेदक की उक्त खदान का समय-समय निरीक्षण किया जाना बताया गया है साथ ही निरीक्षण के दौरान कभी भी अवैध उत्खनन नहीं पाया जाना भी उनके द्वारा अपने कथन में कहा गया है। खनिज निरीक्षक की साक्ष्य को भी अनदेखा करते हुए विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के कथन अंकित किये है, जबकि इन तीनों साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मौके की किसी भी कार्यवाही में हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जबकि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रेत खदान की स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे किन्तु उन पर विश्वास न कर आदेश पारित किया है। प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रचलनता पर आपत्ति की गयी थी, जिस पर विचार किये बिना अधिकारितारहित आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अन्त में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किये है, वह विधिवत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला के समक्ष आवेदक की ओर से

प्रकरण की प्रचलनता के संबंध में स्पष्ट आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 247(1) की कार्यवाही हेतु अधिनियम में अधिकारिता नहीं दी गयी। बल्कि इस हेतु कलेक्टर न्यायालय सक्षम प्राधिकारी है। किन्तु इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आपत्ति पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है, अतः उपरोक्त आदेश अधिकारितारहित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, इस संबंध में 2001(4) एस. एस.सी.9, 2002 (1) एस.एस.सी.633, 2012 आर.एन.420 में निर्धारित किया गया है कि अधिकारिता प्रयोग करने की रीति-अधिनियम में कतिपय कार्य करने की प्रणाली विहीत इसे उसी रीति किया जाना होता है - अन्य रीतियाँ वर्जित है। विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के कथन अंकित किये गये है, जिसमें तीनों ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मौके के किसी भी कार्यवाही में उनके हस्ताक्षर नहीं है, इससे स्पष्ट है कि स्थल पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और ना ही मौके पर सीमांकन रिपोर्ट, पंचनामा तथा नजरी नक्शा तैयार किया गया है, साथ ही उक्त जाँच दल में माईनिंग विभाग को शामिल नहीं किया जाना भी अपने-आप में जाँच की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, यही विचारण न्यायालय के समक्ष माईनिंग निरीक्षक, दीपा बारोबार द्वारा अपने कथन अंकित कराये गये है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेरे द्वारा उक्त खदान का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है तथा उन्होंने कभी भी उक्त खदान में अवैध उत्खनन नहीं पाया है, ऐसी स्थिति

में विचारण न्यायालय द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और उपरोक्त वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विचार न करने में वैधानिक त्रुटि की गयी है, इसलिए अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला द्वारा प्रकरण क्र. 02/अ-67/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2013 कलेक्टर, मण्डला द्वारा प्रकरण क्र.02/अ-67/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 तथा अतिरिक्त अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. 494/अ-67/2013-14 पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य